न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 45/2024
तारीख दायरः–01.05.2024
पीठासीन अधिकारीः– विनय पाठक, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री जय प्रकाश निनामा पुत्र श्री शान्तिलाल, मैसर्स बाबा किराणा स्टोर, सालमगढ़ रोड़, घण्टाली

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 30/07/2024

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड आयोडाईज्ड नमक का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विकेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.01 11:51:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.12.2023 को 12.30 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौरान मैसर्स बाबा किराणा स्टोर, सालमगढ़ रोड़, घण्टाली जिला प्रतापगढ़ पहुँचा। वहां पर नमक (आयोडिन युक्त न्यू मरुधर) 1 किलोग्राम के 10 पैकेट विक्रय अवस्था में रखे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

कारोबारकर्ता ने अपना नाम जय प्रकाश निनामा पुत्र श्री शान्तिलाल बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे नमक (आयोडिन युक्त न्यू महक) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया गया ओर बताया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 1 किलोग्राम के नमक के 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 72 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाह ने समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमक के पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाह के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये ओर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भुरे कागज में लपेट कर प्रत्यके भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप वाई 2052 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था । दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ [illegible] सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। [illegible] 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति [illegible] कर जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.01 11:51:03 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड नमक (न्यू महक) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये । विक्रेता द्वारा आधारकार्ड एवं लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री जय प्रकाश निनामा को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/18 दिनांक 03.01.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु आयोडाईज्ड नमक (न्यू महक) का नमूना जांच रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त रिपोर्ट बताती है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्तों को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अतः अप्रार्थी पर राशि 10000/—रू अक्षरे दस हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 30.07.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.01 11:51:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

(विनय पाठक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2024 / 419-21 दिनांक 30.07.2024

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री जय प्रकाश निनामा पुत्र श्री शान्तिलाल, मैसर्स बाबा किराणा स्टोर, सालमगढ़ रोड़, घण्टाली

(विनय पाठक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.01 11:31:03 IST
Reason: SelfAttested